न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक/न्याय/2021/प्रकरण संख्या 01/2018 दिनांक 26.02.2021

प्रेषिति,

भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा
तहसील माण्डलगढ

विषयः– अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 01/2018 उनवान गोपी जीवण पिता छोगा मीणा बनाम हजारी छगना पिता केसा मीणा मे पारित निर्णय की पालना करने बावत।

––000––

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2018 उनवान गोपी जीवण पिता छोगा मीणा बनाम हजारी छगना पिता केसा मीणा मे निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अनुसार ग्राम माधोपुरा प0ह0 मांगटला के आराजी नं. 834 रकबा 02 बीघा भूमि से अप्रार्थीगण हजारी छगना पिता केसा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा का कब्जा हटाकर, प्रार्थीगण गोपी जीवण पिता छोगा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा को संभलाया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– निर्णय की प्रति

तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 01 / 2018

दायर दिनांकः 12.06.2018

उनवान

1. गोपी पिता छोगा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. जीवण पिता छोगा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

---प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारी पिता केसा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. छगना पिता केसा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

---अप्रार्थीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री संजय चौहान :– अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सत्यनारायण जीनगर :– अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 25.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय चौहान दिनांक 22.01.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे नाम ग्राम माधोपुरा तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 834 रकबा 02 बीघा भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को कभी भी अप्रार्थीगण को विक्रय, रहन या भागीदारी पर नही दी है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की दिनांक 06.06.2017 को पत्थरगढी करवायी तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थीगण को कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर भूमि प्रार्थीगण को सपूर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, विवादित भूमि की जमाबंदी व पत्थरगढी–मौका पर्चा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया एवं भू.अ.नि. से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

दिनांक 18.11.2020 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण जीनगर ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय लिया गया। दिनांक 15.02.2021 को अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी होना तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। भू.अ.नि. श्यामपुरा द्वारा भी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम माधोपुरा की आराजी नं. 834 रकबा 02 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है तथा मौके

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। भू.अ.नि. श्यामपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमाबंदी की नकल, पत्थरगढी का मौका पर्चा, अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, भू.अ.नि. श्यामपुरा की मौका रिपोर्ट एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। जमाबंदी की प्रतिलिपि के आधार पर प्रार्थीगण के नाम ग्राम माधोपुरा प०ह० गांगटला के आराजी नं. 834 रकबा 02 बीघा भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा द्वारा दिनांक 06.06.2017 को की गई पत्थरगढी मौका पर्चा व भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम माधोपुरा प०ह० गांगटला के आराजी नं. 834 रकबा 02 बीघा भूमि से अप्रार्थीगण हजारी छगना पिता केसा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा का कब्जा हटाकर, प्रार्थीगण गोपी जीवण पिता छोगा मीणा निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा को संभलाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे अधिवक्ता उभयपक्ष की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार, माण्डलगढ

Scanned with CamScanner